उ0 प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ–226006

फोन : 91–522–2331096 सीयूजी : 91–945442608 फैक्स : 91–522–2335346

E-Mail : radiohq@nic.in Website : uppolice.gov.in

पत्रांकः ए–388 / 2004(भर्ती) दिनांकः जुलाई 23 ,2018

विज्ञप्ति

उ0प्र0पुलिस रेडियो शाखा में समूह "घ" संदेश वाहक के निम्नलिखित रिक्त पदो को भरे जाने हेतु निर्धारित प्रारुप पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आंमत्रित किये जाते है।

भर्ती का प्रकार :– समूह "घ" संदेश वाहक के रिक्ति पदों पर सीधी भर्ती–2018

आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 16–08–2018 को सायं 05:00 बजे तक।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संदेश वाहक	लेबल–1 (रु0 18000–56900)	62	31	17	13	01

भर्ती प्रक्रिया :– यह भर्ती **"उत्तर प्रदेश पुलिस समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली–2009"** सपठित **"उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती(साक्षात्कार का बंद किया जाना)नियमावली–2017"** के अन्तर्गत निम्न प्रकार से दो चरणों में होगी तथा लिखित परीक्षा के आधार पर चयन परिणाम घोषित किया जायेगा :–

(1) संगत व्यवसाय की दक्षता परीक्षा

(2) लिखित परीक्षा

अर्हताएं :–

1– आरक्षण :– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियो के लिये आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशो के अनुरुप होगा।

2–राष्ट्रीयता– संदेशवाहक के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

क– भारत का नागरिक हो या

ख– तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

ग– भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्रायं से पाकिस्तान, बर्मा श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश–केन्या, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी(ख)(ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है :–

परन्तु यह कि श्रेणी(ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी, कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले ;

क्रमशः ......

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी(ग) को हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

2. आयु :– अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2018 को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक (अर्थात उसका जन्म 01 जुलाई, 1988 से पूर्व एवं 30 जून, 2000 के बाद न हुआ हों) की आयु न प्राप्त की हों। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियो की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

3. शैक्षिक अर्हता :– अभ्यर्थी ने कम से कम कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उसे विभागीय पुलिस बल की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उस पद के कार्य का अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित अनुभव हो और वह साइकिल चलाना जानता हो, परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियो पर लागू न होगी। अन्य बातो के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के मामलो में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

4. भूतपूर्व सैनिको एवं अन्य श्रेणी के संबंध में शिथिलता :– भूतपूर्व सैनिको, विकलांग सैन्य कार्मिको, युद्ध के दौरान शहीद हुए सैन्य कार्मिकों के आश्रितों, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों और खिलाडियों के पक्ष में अधिकतम् आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता और भर्ती के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा में शिथिलता भर्ती के समय इस सरकार के सामान्य नियमों या आदशों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

5. चरित्र :– सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके।

टिप्पणी :– राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नही समझे जायेंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

6. वैवाहिक स्थिति :– नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो ;

परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकते हैं, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

7. शारीरिक स्वस्थता :– किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रुल–10 के आधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

सामान्य निर्देश :– आवेदन पत्र में यथा स्थान नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो स्व–हस्ताक्षरित या अंगूठे का निशान लगाकर चिपकायें। आवेदन पत्र के साथ कोई भी परीक्षा शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थियो के आवेदन पत्र के साथ पत्राचार हेतु स्पष्ट स्वयं का पता लिखा, रु0 5/– का डाक टिकट लगा 10x30 से0मी0 का दो लिफाफा संलग्न होना चाहिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय,महानगर,लखनऊ–226006 के नामे भेजा जायेगा जिसके लिफाफे के ऊपर पदनाम अंकित किया जायेगा।

क्रमशः ......

अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्तिगत रुप से भी आवेदन पत्र उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ–226006 में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से **दिनांक 16–08–2018 को सायं 05:00 तक** प्राप्त कराया जा सकता है। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता का प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियॉ, साइकिल चलाने की जानकारी का घोषणा–पत्र संलग्न करना होगा। चयन के पश्चात सफल अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण–पत्रों को मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा। सेवायोजन कार्यालय पंजीयन प्रमाण–पत्र यदि हो तो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण प्रमाण–पत्र यदि हो तो उसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। निर्धारित तिथि व समय के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नही किये जायेगें। डाक में बिलम्ब के लिए विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा। आवेदन पत्र के विवरण में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदित पद के दक्षता की अर्हक परीक्षा दिनॉक 30–08–2018 से 05–09–2018 तक(सम्भावित) (आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में परीक्षा निर्वाध रुप से प्रचलित रहेगी) उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ पर आयोजित की जायेगी और अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 16–09–2018(सम्भावित) को उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ पर आयोजित की जायेगी। समय एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाइट **uppolice.gov.in** पर तथा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भी दी जायेगी। अभ्यर्थियों को साइकिल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

अन्य :–

(1) रिक्तियो की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(2) अभ्यर्थियो को अर्हक परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आने–जाने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नही होगा तथा उन्हे अपने खाने–पीने व ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।

(3) जनहित में किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को स्थगित करने/निरस्त करने या समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

(4) चयनित अभ्यर्थियो का तत्समय प्रचलित शासकीय नियमो के अनुसार चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत सूचना /घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा किसी तथ्य को जान–बूझ कर छुपाया गया है अथवा चरित्र सत्यापन के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में आते है, जो सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हों, उनका चयन बिना किसी सूचना के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा। किसी भी प्रकार का विवाद स्थानीय सीमा क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में ही विचारणीय होगा।

23.7.18

उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)मुख्यालय,
उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर–लखनऊ।

पता : उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ–226006 फोनः 0522–2331096 **फैक्सः** 0522–2335346

आवेदन–पत्र का प्रारुप

1. विभाग का नाम : उ0प्र0पुलिस रेडियो विभाग
2. विज्ञापन संख्या :
3. आवेदित पद का नाम :
4. अभ्यर्थी का नाम :
5. पिता/पति का नाम :
6. जन्म तिथि :
7. आयु :01 जुलाई 2018 को .... वर्ष ....माह...........दिन

पासपोर्ट साइज का नवीनतम् स्व–हस्ताक्षरित फोटो यहाँ चिपकायें

8. राज्य का नाम जिसका मूल निवासी है :–
9. पता (अ) स्थायी पता ....

....

(ब) पत्राचार का पता..

....

10. राष्ट्रीयता
11. श्रेणी ....जाति ....

(आरक्षित श्रेणी–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. शैक्षिक योग्यता : पुष्टि स्वरुप प्रमाण–पत्र /पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

कक्षा	स्कूल/संस्था का नाम जिसमें उत्तीर्ण की	उत्तीर्ण का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तॉक	प्रतिशत

13. यदि खिलाडी हैं /रहें हैं तो उसकी श्रेणी (1)राज्य स्तर (2) मण्डल/जनपद स्तर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. साइकिल चलाना आता है अथवा नहीं(महिलाओं को साइकिल चलाने की छूट है):– ....
15. यदि सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो तो जनपद का नाम जहॉ पंजीकरण है तथा पंजीयन संख्या...
16. संलग्नो की संख्या :–................................

(सभी प्रमाण–पत्रों की केवल स्वच्छ एवं स्व–प्रमाणित छायाप्रतियॉ ही संलग्न की जायेंगी)

घोषणा–पत्र

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्ते सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं। वे मुझे मान्य हैं और वे शर्ते मैं पूरा करता हूँ/करती हूँ।

2. इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण एवं सूचनायें सत्य एवं सही हैं और इन विवरण /सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा गलत पाया जाये अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाये जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जायें। मैंने अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है।

दिनॉक :–

स्थान :–

प्रार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

(स्पष्ट नाम)